राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2015-2016, समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 50वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 91वां प्रतिवेदन ।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.4 (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 2.5 तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 92वां प्रतिवेदन ।
3. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 93वां प्रतिवेदन ।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.4.4, वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.2 एवं 2.4.5 तथा वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.2.2 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 94वां प्रतिवेदन ।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.5 एवं 2.4.7 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 95वां प्रतिवेदन ।
6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.1.1 एवं 2.2.1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4.4 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 96वां प्रतिवेदन ।

जारी..2..

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 2.6 वित्त विभाग, वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.8 वित्त, विधि एवं श्रम विभाग अनुच्छेद संख्या 3.6 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 97वां प्रतिवेदन ।
8. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के भू-राजस्व एवं विद्‌युत कर विभाग से संबंधित 139वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों पर शासन द्‌वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 98वां प्रतिवेदन ।
9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 1.5.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी, वन, विधि, वित्त, सूचना प्रौद्‌योगिकी एवं संचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 99वां प्रतिवेदन ।
10. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 42वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‌वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 100वां प्रतिवेदन ।
11. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 47वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‌वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 101वां प्रतिवेदन ।
12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राजस्व प्राप्तियॉ) में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2015-16 का 102वां प्रतिवेदन ।
13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.8.3 भू-राजस्व विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 6.5 एवं 6.8 उपनिवेशन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 103वां प्रतिवेदन ।
14. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 6.10 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 104वां प्रतिवेदन ।
15. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के भू-राजस्व एवं विद्‌युत कर विभाग से संबंधित 214वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों पर शासन द्‌वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 105वां प्रतिवेदन ।
16. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के भू-राजस्व विभाग से संबंधित 222वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‌वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 106वां प्रतिवेदन ।

जारी..3..

17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.3 एवं 3.4.4 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 107वां प्रतिवेदन ।
18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.8 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 108वां प्रतिवेदन ।
19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 2.1 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 109वां प्रतिवेदन ।
20. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 52वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 110वां प्रतिवेदन ।

(II) श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा), सभापति, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2015-2016, समिति के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम् प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे ।

<u>3. याचिकाओं का उपस्थापन</u>

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

1- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा, जिला –चित्तौड़गढ़ में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति बाबत् ।

2- छोटी सादड़ी, जिला-प्रतापगढ़ में स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय खोलने की स्वीकृति बाबत् ।

(II) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा, श्रीगंगानगर जिले में तहसील श्रीकरणपुर में नई शुगर मिल स्थापित करने के बावजूद गन्ना उत्पादक किसानों से पूरी खरीद मिल द्वारा न किये जाने से किसानों को पंजाब गन्ना भेजने की स्थिति में 120 रूपये प्रति क्विटंल नुकसान होने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री गोरधन, सदस्य, विधान सभा, नगरपालिका लोसल में श्रीबद्रीनारायण सोढ़ानी हॉस्पिटल को सिटी डिस्पेंसरी बनाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..4..

(IV) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रानीवाड़ा-भीनमाल राजमार्ग के कागमाला चौराहा से श्री सुन्धामाताजी मंदिर तक 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण व सड़क चौड़ी करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. विधायी कार्य

(अ) पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016

(I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-10)

"डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 को निरसित करने के लिए विधेयक'' ।

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016

(I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-11)

"राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर के नाम और इसके मुख्यालय को परिवर्तित करने और राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन भी करने के लिए विधेयक'' ।

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

जारी..5..

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-2)

''वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।''

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान वित्त विधेयक, 2016

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान वित्त विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-3)

"वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 29 मार्च, 2016